

:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1017488

मंडला , दिनांक :-07/01/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

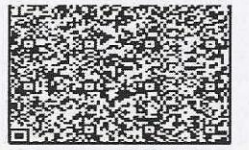
शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	4	कुल राशि (रुपयें में)	:	20000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है |
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेंटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्रमाणित
 शासकीय जगन्नाथ मन्नालाल चौधरी
 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
 स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

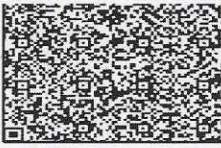


क्रमांक/प्र.कि.यो./1017488

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1017477

मंडला , दिनांक :-07/01/2020

वेबय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

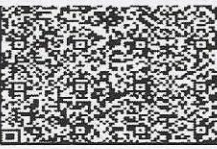
शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	7	कुल राशि (रुपयें में)	:	35000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है |
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेंटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।


 शासकीय जगन्नाथ चौधरी
 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
 स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

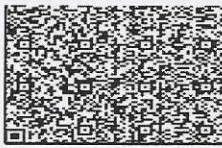


क्रमांक/प्र.कि.यो./1017477

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
मंडला म.प्र. कोषालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1017505

मंडला , दिनांक :-07/01/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	3	कुल राशि (रुपयें में)	:	15000

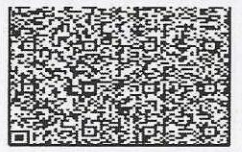
प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है |
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेंटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्रार्थी
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
महिला प्रशिक्षण केंद्र (म.प्र.)
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

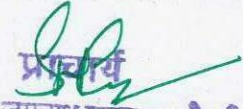
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

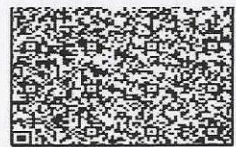


क्रमांक/प्र.कि.यो./1017505

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


प्रचार्य
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा चौधरी
मंडला कोषालय मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1017500

मंडला , दिनांक :-07/01/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

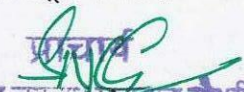
प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

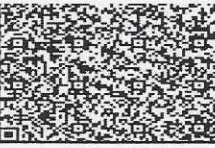
शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	2	कुल राशि (रुपयें में)	:	10000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


 शासकीय नियमावली
 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
 मंडला
 स्वीकृति अधिकारी, जिला:-मंडला

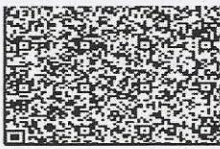


क्रमांक/प्र.कि.यो./1017500

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्राचार्य
शासकीय जनशिक्षण महाविद्यालय चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला शिक्षा कोषालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1017972

मंडला , दिनांक :-10/01/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

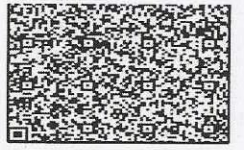
प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	1	कुल राशि (रुपयें में)	:	5000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
 2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
 3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है |
 4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
 5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
 6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
 7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
 8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
 शासकीय जगन्नाथ चौधरी
 महिला महाविद्यालय, मण्डला
 स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

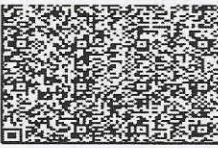


क्रमांक/प्र.कि.यो./1017972

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मुन्नाल चौधरी
महिला हस्तक्षेप एवं मदद
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1017973

मंडला , दिनांक :-10/01/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

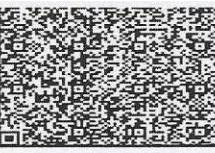
शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	2	कुल राशि (रुपयें में)	:	10000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्रमाणित
शासकीय जयशंकर प्रतापलाल चौ.
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



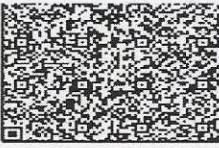
क्रमांक/प्र.कि.यो./1017973

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1018403

मंडला , दिनांक :-24/01/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

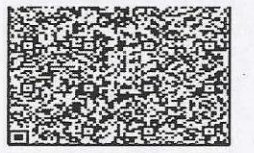
शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	1	कुल राशि (रुपयें में)	:	5000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है |
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेंटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
शासकीय निकाय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृत अधिकारी, जिला-मंडला

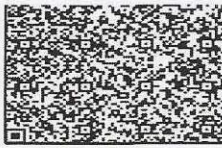


क्रमांक/प्र.कि.यो./1018403

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा चौ. 01
मंडला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: प्रतिभा किरण योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/प्र.कि.यो./1018885

मंडला , दिनांक :-03/02/2020

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (प्रतिभा किरण योजना)

प्रतिभा किरण योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

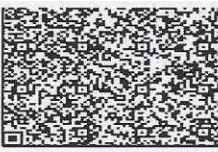
शैक्षणिक सत्र	:	2019-20	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	1	कुल राशि (रुपयें में)	:	5000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शहर की छात्रा (ओं) हेतु दी जा रही है एवं पात्र छात्राओं को नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका का गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्रा (ओं) को प्रदान की जा रही है।
3. छात्रा (ओं) द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।
4. छात्रा(ओं) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्रा(ओं) को एक समय में प्रतिभा किरण योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं गांव की बेटी योजना के लिये उक्त छात्रा(ओं) का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रा(ओं) को प्रतिभा किरण योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्रा(ओं) द्वारा प्रतिभा किरण योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्रा (ओं) द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्रा(ओं) से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



क्रमांक/प्र.कि.यो./1018885

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


शासकीय जगन्नाथ चौधरी महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला